



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल  
"चयन भवन", मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट, भोपाल 462011  
फोन नं.— +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,  
E-mail: complain.peb@mp.gov.in , website: www.peb.mp.gov.in

## जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा-2019 (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 01.06.2019	भरने की अंतिम तिथि : 15.06.2019
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 01.06.2019	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 20.06.2019
परीक्षा दिनांक व दिन	07.07.2019, रविवार
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये	रु. 200/-
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु सीएससी का पोर्टल शुल्क रूपये 50/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 30/- रु. देय होगा ।	

### आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
07.07.2019 रविवार	प्रथम	प्रातः 07:00 - 08:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 - 01:00 बजे तक	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:00 से 04:00 बजे तक (2:00 घंटे)

### टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू आई डी ए आई (UIDAI) पितके द्वारा सत्या (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार इनेबलड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : complain.peb@mp.gov.in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा-2019

(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1 (अ),(ब)	संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के लिये विभागीय नियम	03-25
2.	2.	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	26-42
3.	3.	परीक्षा का पाठ्यक्रम	43-48
4	4	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	49-57
5	प्रारूप-10	प्रश्नों / आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	58
6	प्रारूप-11	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	59

=  
(स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु)  
For Appointment against the post of staff nurses

**PNST/GNTST**

**2019**

**SELECTION RULES FOR ADMISSION  
TO BSC. NURSING (4 YEAR COURSE) &  
GENERAL NURSING & MIDWIFERY (3 YEAR COURSE)  
IN PH & FW GOVERNMENT NURSING INSTITUTIONS**

**शासकीय नर्सिंग कालेजों के बीएससी नर्सिंग (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) एवं  
जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश  
हेतु उम्मीदवारों के लिए चयन संबंधी नियम**

**(FOR FEMALE CANDIDATE ONLY)  
(केवल महिला उम्मीदवारों के लिए)**

**GOVT. OF MADHYA PRADESH  
FORMULATED AND ISSUED BY  
DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES  
SATPUDA BHAWAN, BHOPAL**

**मध्य प्रदेश शासन  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
सतपुडा भवन, भोपाल**

## अध्याय-1(अ)

### नियम

#### 1. सामान्य-

ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के “शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालयों एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम” कहलायेंगे।

ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

#### 2. परिभाषा - इन नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -:

(क) ("विभाग" से अभिप्रेत है -मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

(ख) ("परीक्षा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(ग) टेस्ट से अभिप्रेत है प्री नर्सिंग सलेक्शन टेस्ट (पीएनएसटी)PRE-NURSING (B.SC. NURSING) SELECTION TEST (PNST) एवं General Nursing Training Selection Test (GNTST) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा।

(घ) ("अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें कायूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेशराज्यके संबंध में अनुसूचितजातियोंके रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(च) ("अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें कायूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्यके संबंध में अनुसूचित जनजातियोंके रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(छ) ("राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

(ज) ("पी.ई.बी." से अभिप्रेत है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड म.प्र.।

#### 3. सीटों का विवरण -:

##### 3.1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के सीटों का विवरण-

क्र०	कालेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी एलिंगन अस्पताल के पास, जबलपुर	60
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, उज्जैन जिला चिकित्सालय के पास उज्जैन	60
	<b>कुल</b>	<b>120</b>

3.2 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित- शासकीय जी.एन.म. प्रशिक्षण केन्द्रों केन्द्रों की सीटों का विवरण-

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल रिक्त सीटों की संख्या
1	जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा	60
2	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	60
3	जिला चिकित्सालय, रतलाम	60
4	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सतना	60
5	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र रायसेन	60
6	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र झाबुआ	60
7	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सीधी	60
8	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र राजगढ़	60
9	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र विदिशा	60
10	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया	60
11	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र देवास	60
12	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर	60
13	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र नरसिंहपुर	60
14	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	60
15	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र बालाघाट	60
16	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र बैतूल	60
17	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र बुरहानपुर	60
18	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र बड़वानी	60
19	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र मंडला	60
20	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र इटारसी	60
21	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र शहडोल	60
22	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र अशोकनगर	35
<b>योग</b>		<b>1295</b>

नोट:-

- कुल स्वीकृत सीटों में सेलोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिये 10 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रखा गया है। साथ ही आशा कार्यकर्ता को 05 वर्ष का सेवानुभव होना अनिवार्य है।
  - जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु कुल सीटों में से आशा कार्यकर्ताओं के लिये 10 प्रतिशत आरक्षित की गई सीटों के विरुद्ध आशा कार्यकर्ता के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त सीट्स पर अन्य छात्रोंको आरक्षण अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 3.3 नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन एवं जबलपुर में कुल 120 सीटों एवं जीप्रशिक्षण केन्द्रों .एम.एन. में कुल 1295 सीटों पर प्रवेश स्टाफ नर्स के पदों की रिक्तता के आधार पर किया जावेगा।

	अनारक्षित	अनु.जाति	अनु.जनजाति
रिक्त	1313	112	598

नोट:- विभाग की आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों में परिवर्तन संभव है।

#### 4. शैक्षणिक योग्यता/ अन्य अर्हताएं :-

- 4.1 उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 4.2 बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश/म राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा .प्र.परिषद् भोपाल/सीबीएसईआईसीएसई/ से मान्यता प्राप्त स्कूलों से की 10+2 प्रणाली 12 वी कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।
- 4.3 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु आशा कार्यकर्ता की शैक्षणिक अर्हता 4.2 के समान होगी। साथ ही 5 वर्ष का सेवा अनुभव सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

#### 5 आयुसीमा :-

- 5.1 सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण वर्ग के लिये अभ्यर्थी की (क्रीमिलेयर) 1 जुलाई 2019 को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिये।
- 5.2 आशा कार्यकर्ताओं के लिये आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये आशा कार्यकर्ता की 1 जुलाई 2019 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये। आशा कार्यकर्ता के लिये आरक्षित सीटों में अधिकतम आयु सीमा )35 वर्ष में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। (
- 5.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्यपिछड़ेवर्ग(नॉनपरित्यक्ता तथा (क्रीमिलेयर-विधवाओंके लिए आयुसीमा में 05वर्ष की छूट दी जावेगी।

- 5.4 अधिकतम आयु सीमा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे।

## 6. निरर्हताएं -:

- 6.1 समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा )सेवा की सामान्य शर्तें(नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उम्मीदवार को तीसरी संतान हो तो पात्र नहीं होंगे।
- 6.2 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अनर्ह होगा।
- 6.3 स्वास्थ्य सेवायें जिनका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज में है। अतः यह पद विकलांग की श्रेणी से मुक्त है। सेवायें प्रदाय करने में असमर्थ होंगे।
- 6.4 पुरुष अभ्यर्थी अपात्र होंगे।
- 6.5 मध्य प्रदेश शासन से जारी राजपत्र दिनांक 10 मार्च 2000 अनुसार अभ्यर्थीके विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम हो, अयोग्य; अर्थात् जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित आयु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा।
- 6.6 किसी अभ्यर्थी की ओर से, अभ्यर्थी के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/ चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
- 6.7 परीक्षा कक्ष में दुर्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे।
- 6.8 फर्जी दस्तावेज /दस्तावेज फेरबदल किया हो /चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो / सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।
- 6.9 पररूप धारण )इम्पर्सोनेशन (किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

## 7. आरक्षण:-

- 7.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क्रं 21 वर्ष 1994 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा।
- 7.2 अभ्यर्थीद्वारा आरक्षणका दावा :- आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के अनुविभागीय अधिकारी )राजस्व( द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और वह मंडल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिताया चयन का दावा रद्द हो जाएगा, ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- 7.3 बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजातिय के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया: - विशेष पिछड़ी जनजाति के लिये किये गये विशेष प्रावधान का पालन करते हुये मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-7-74/2016/आएक/प्र.दिनांक

25.10.2016 मे उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांकएफ-6-1/2002/आ एक/प्र. दिनांक 23.05.2014 के अनुसार चयन परीक्षा नहीं ली जाएगी।

## 8 चयन प्रक्रिया -

- 8.1 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी. नर्सिंग के प्रशिक्षण एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (पी.एन.एस.टी. एवं जी.एन.टी.एस.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्यता सूचियां श्रेणीवार श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करावेगा

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने के एक सप्ताह पश्चात् एम.पी.आनलाईन [www.MP Online](http://www.MP Online) के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित की जावेगी। काउंसलिंग में

छात्राओं को उनके द्वारा दिये विकल्प अनुसार मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा। एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा।

## 8.2 न्यूनतम अर्हकारी अंक (कट ऑफ मार्कस) :-

मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्ही अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंक में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्गके अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक अंक की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हकारी अंक होंगे।

## 9. मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना:-

- 9.1 मंडल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमीलेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 9.2 आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट) जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किसी भी आरक्षण का लाभ यथा आयु, शैक्षणिक योग्यता में नहीं लिया गया है तो ओपन कैटेगरी में आएगा।

9.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग क्रीमीलेयर का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन (सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थी को उसके संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।

9.4 आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों नॉन क्रीमीमलेयर के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी।

#### 10. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना:-

मंडल एक विज्ञापन जारी करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन नियत तिथि में जैसा की मंडल द्वारा निर्देशित किया जाए प्रस्तुत करेंगे।

अनिवार्य दस्तावेज जो ऑनलाइन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड किया जाना होगा :-

- 10वीं की अंकसूची जन्म दिनांक की पुष्टी हेतु ।
- अनुविभागीय अधिकारी )राजस्व( मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

#### 11. आवेदन शुल्क:-

- आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, प्रपत्र एवं शुल्क आदि का निर्धारण प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के मापदंडों के अनुसार होगा जिसका व्यय स्वयं आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
- आवेदन पत्र एम पी ऑन लाईन कियोस्क माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं; जिसका शुल्क आवेदक द्वारा कियोस्क केन्द्र पर नगद भुगतान करना होगा ।
- ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार एवं संशोधन का एक अवसर आवेदक को प्रदान किया जावेगा, जिसका भार आवेदक द्वारा प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के मापदंडों के अनुसार देय होगा।
- शुल्क में छूट जो की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू है, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है।
- परन्तु यह और की ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमीलेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयुसीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

#### 12. परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

परीक्षा मंडल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी।

### 13. सहवर्षिता :-

परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/ प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आपसी सहवर्षिता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। आयु समान होने की स्थिति में चयन परीक्षा के विषयों में उल्लेखित विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित किया जावेगा। प्रथम- जीव विज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय- भौतिकी एवं चतुर्थ- अंग्रेजी ।

यह आवश्यक नहीं है की अंतिम **CUT-OFF** मार्कपर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में लायाजावे।

### 14. प्रवेश प्रक्रिया:-

14.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारोंकी मेरिट का उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आन लाइन काउंसलिंग द्वारा किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्रों को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट - वर्ष 2019 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी।

जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होंगे, उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश की प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी स्वास्थ्यविभाग की वेबसाईट [www.health.mp.gov.in](http://www.health.mp.gov.in) एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी।

14.2 **प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची:-** उम्मीदवारों को **बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय एवंजनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न मूल प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा।** इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश/मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद् भोपाल/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों की 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. अनुविभागीयअधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।

3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। चयन होने पर किसी भी स्तर में अगर अभ्यर्थी का गर्भ धारण (Pregnancy) होता है, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-10/2016/1/3 दिनांक 01 नवम्बर 2016 के तारतम्य में अस्थाई (Temporary) मेडिकल अनफिट रहेगे तथा अगले सत्र में जहां से प्रशिक्षण अस्थाई (Temporary) मेडिकल अनफिट होने के कारण प्रभावित हुआ था उसी चरण पर प्रशिक्षण प्रारंभ कर प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण में बैक हो जाता है। तो वरिष्ठता का निर्धारण आबंटन एवं ज्वानिंग के आधार पर होगा।
5. आशा कार्यकर्ताओं के लिये 5 वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र।
6. प्रवेश के समय नर्सिंग महाविद्यालयों के लिये प्रवेशित छात्राओं को अनुबंध पत्र राशि ₹0 2 लाख का एवं जी एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये अनुबंध पत्र राशि ₹0 1 लाख का 100 ₹0 के स्टांप पेपर पत्र एवं सॉल्वेंसि प्रमाण-पत्र।
7. पी.एन.एस.टी./जी.एन.टी.एस.टी. अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।
8. आशा कार्यकर्ताओं के लिये 5 वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र।

**टिप्पणी:-**

- (i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।
- (ii) प्रवेश हेतु उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

उम्मीदवार को मेरिट सूची के आधार पर शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। अपने मूल दस्तावेज का सत्यापन समय सीमा में कराना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में उपस्थिति देने की निर्धारित तिथितक उपस्थित होना अनिवार्य है। उक्त सत्यापित दस्तावेज गलत पाए जाने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा।

- 15 चयनोपरान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

16 **प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवा:-**

तीन वर्ष/चार वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थाओं में कहीं भी 5 वर्ष की शासकीय सेवा यदि शासन द्वारा दी जाये तो करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

17 **प्रवेश रद्द करना :-**

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण-पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवार्थ का निर्णय अंतिम होगा।

18 **चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-**

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

19 **नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :-**

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

20 **प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-**

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट -अमें दिये गये हैं।

21 **प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :-**

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप रू0 5200-20200-2800(शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तित वेतमान)में इन्हें विभाग की आवश्यकतानुसार स्टाँफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा अन्यथा बाँण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

**बीएससी नर्सिंग एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें**

1. बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि चार वर्ष एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष (6 माह की इंटरनशिप के साथ) की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण केन्द्र में जो अवकाश स्वीकृत होंगे वही प्रदाय किये जावेगे। मेडिकल की स्थिति में अधिकतम 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
4. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
5. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
8. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
9. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्योहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी।
10. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
11. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
12. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
14. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
15. बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण छात्राओं द्वारा 2,00,000/- (दो लाख रुपये) छात्राओं द्वारा 1,00,000/- (एक लाख रुपये) के बॉण्ड के साथ सॉल्वेंसी भरना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध बॉण्ड भरना होगा।

**आयुक्त स्वास्थ्य सेवार्ये,  
मध्यप्रदेश**

**PNST – 2019**

**PRE NURSING SELECTION TEST – 2019**  
**(B.Sc.NURSING SELECTION TEST)**

**FOR GIRLS ONLY**

केवल लड़कियों के लिये बी.एस.सी.नर्सिंग में प्रवेश हेतु  
उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम  
मध्यप्रदेश शासन  
चयन नियम

**RULES FOR SELECTION**

SELECTION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO B.Sc.NURSING  
(4 YEARS COURSE) TO GOVERNMENT NURSING COLLEGES

**2019**

Made and Issued by

**DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES**  
**&**  
**DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION**  
**GOVT.OF MADHYA PRADESH, BHOPAL**

**अध्याय-1 (ब)**  
**बी.एस.सी.नर्सिंग कालेजों में प्रशिक्षण हेतु**  
**चयन के लिए नियम - 2019**

सामान्य:

- 1.1 ये नियम राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय बी.एस.सी.नर्सिंग कालेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम कहलायेंगे ।
- 1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कालेज आफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं ।
- 1.3 परिभाषाएं:

इन नियमों में -

1. राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन ।
2. टेस्ट से तात्पर्य है Pre-Nursing (B.Sc.Nursing) Selection Test (PNST) प्री नर्सिंग चयन परीक्षा ।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा शिक्षा सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय, भोपाल ।
4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गों के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है ।
- 2.1 सीटों का आरक्षण:  
बी.एस.सी.नर्सिंग कालेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16% 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट - 'अ' - में दिया गया है ।

टिप्पणी:-

- (अ) विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है ।
- (ब) जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । (जी.एन.टी. में उपयोग किये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न है)

नोट:- प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहां-जहां प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय-4) देखें ।

- 2.2 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग - ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:-
  - (अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।

- (ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता-पिता दोनों न हों तब वैद्य अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र ।
- (स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (द) यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसने प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा ।
- 2.3 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर - ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है तो उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.1 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्त:-
- 3.2 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएं:-  
प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी:-
1. जो भारत का नागरिक हो ।
  2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

टिप्पणी:-मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

#### विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में स्पष्टीकरण -

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में स्वशासी बोर्ड के संसोधन अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 4 फरवरी 2019 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा के निर्देश दिनांक 06/02/2019 के अनुसार विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40 प्रतिशत (बेंचमार्क विकलांगता अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित) होना चाहिए।

3.3 शैक्षणिक अर्हता:- बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी ।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी ।

3.4 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता:- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष (3.3) में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहीं हैं । पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी ।

- 3.5 आयु सीमा:- 1 जुलाई 2019 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी ।
- 3.6 स्पष्टीकरण:- आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा । अन्य दस्तावेजों को प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा ।

4.1 चयन प्रक्रिया:-

- 4.1 प्रदेश के विभिन्न शा. नर्सिंग महाविद्यालयों बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण में चयन हेतु **PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD** द्वारा चयन परीक्षा बी.एस.सी.नर्सिंग चयन परीक्षा (प्री.नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट) आयोजित की जावेगी । **BOARD** द्वारा इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूचियां वर्गवार उपलब्ध करायी जावेगी ।

नोट:- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउन्सिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें ।

- 4.2 इस चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है । प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होंगे । सभी विषयों का मूल्यांकन अलग-अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा । मेरिट सूची अंग्रेजी विषय के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी ।
- 4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता:- समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जावेगा । प्रथम-जीवविज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी ।
- 4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेगी ।

5.1 प्रवेश प्रक्रिया:-

- 5.1 (अ) मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार (सामान्य केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा । ADN C/O Director Medical Education Bhopal को परीक्षा परिणाम C.D. में उपलब्ध करायी जावेगी । प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी.आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा । मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जावेगा ।

नोट:- वर्ष 2019 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसिलिंग नहीं की जावेगी । एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक..... को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा । उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा । मूल प्रमाण-पत्र

दिखाना अनिवार्य रहेगा । समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा । आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में उपस्थिति देने की तिथि ..... निर्धारित है ।

- 5.1 (ब) चिकित्सा शिक्षा विभाग:- **PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD** द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (सामान्य केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा । चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्त शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर व रीवा में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग अलग से एम.पी. ऑन-लाईन के माध्यम से आयोजित की जायेगी एवं एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक..... को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा । उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा । मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा । समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा । काउंसिलिंग हेतु तिथि एवं प्रक्रिया की विज्ञप्ति पृथक से विभिन्न समाचार पत्रों में जारी की जावेगी।
- 5.2 प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची:- उम्मीदवारों को बी.एस.सी.नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों को साथ में लाना अनिवार्य है । किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा ।
1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवी की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइस बायो ग्रुप) प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची ।
  2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें
  3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति ।
  4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण-पत्र । गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी ।

टिप्पणी:-

- (i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा ।
- (ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों ।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा ।

### 6.1 प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा:-

सभी चयनित 120 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म.प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं स्टार्टफण्ड भी नहीं दी जाएगी।

### चिकित्सा शिक्षा विभाग:- प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा:-

चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा संचालित सभी अध्ययनरत 510 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म.प्र. के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सालयों में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा देना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं स्टार्टफण्ड की पात्रता नहीं होगी।

### 7.1 प्रवेश रद्द करना:-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, ससंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवारों को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

### 8.1 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को:-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये म.प्र. राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

### 9.1 नियमों/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-

म.प्र. राज्य शासन, भोपाल प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

### 10.1 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम:-

बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट- 'ब' में दिये गये हैं।

### 11.1 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग):-

बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप वेतनमान 5200-20200+2800 (शासन द्वारा समय पर परिवर्तित वेतनमान) पर रिक्त पदों पर ही स्टाफ नर्स के पद पर प्रदेश में कहीं भी शासकीय चिकित्सालयों में नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के जाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आर.प्रा., दिनांक 08 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट- 'द' (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जानेवाले पदों के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120+510 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:-

नोट:- आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट- अ

**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के सीटों का विवरण:-**

क्र.	कालेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कल सीट	ओपन केटेगरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जनजाति (महिला) (20%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (14%)
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी एल्गिन अस्पताल के पास, जबलपुर	60	30	10	12	8
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, उज्जैन जिला चिकित्सालय के पास, उज्जैन	60	30	10	12	8
	<b>योग</b>	120	60	20	24	16

**चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर,  
सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा के सीटों का विवरण**

S.No	College Name	Total Number of Seats	UR	UR SN/FF	ST	ST SN/FF	SC	SC SN/FF	OBC	OBC SN/FF	Total
1	Govt. College of Nursing, Indore	210	102	03	41	01	32	02	28	01	210
2	Govt. Nursing College GMC Bhopal	60	28	02	10	00	12	00	08	00	60
3	Govt. Nursing College GRMC Gwalior	60	28	02	10	00	12	00	08	00	60
4	Govt. Nursing College BMC Sagar	60	28	02	10	00	12	00	08	00	60
5	Govt. Nursing College SSMC Rewa	60	28	02	10	00	12	00	08	00	60
6	Govt. Nursing College NSCB Jabalpur	60	28	02	10	00	12	00	08	00	60
<b>Total</b>		<b>510</b>	<b>242</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>01</b>	<b>92</b>	<b>02</b>	<b>68</b>	<b>01</b>	<b>510</b>

**नोट:-**

- शासकीय स्वषासी नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा व जबलपुर में 510 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की विज्ञप्ति समाचार-पत्रों में अलग से जारी की जावेगी।
- U. R., S. T., S. C. एवं O. B .C. वर्ग की आरक्षित सीटों में से एक सीट हर वर्ग में विकलांग उम्मीदवारों की एक सीट आरक्षित रहेगी। (विकलांग उम्मीदवार प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त सीट की पूर्ति आरक्षित सीटों में से U. R., S. T., S. C. एवं O. B .C. वर्ग से पूर्ण कर ली जावेगी।)

## परिशिष्ट - 'ब'

### बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

01. बी.एस.सी.नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी ।
02. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा
03. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी ।
04. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा । आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा ।
05. प्रशिक्षणार्थी को इयूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.-3/94/1588/1601 दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा ।
06. छात्राओं को कार्य पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
07. इयूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी
08. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है ।
09. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी एवं अधिकृत किये गये व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नं, आधार कार्ड, व्यक्ति से संबंध एवं फोटो अनुमति पत्रक के साथ जमा करना होगा ।
10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी । परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा ।
11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोलकाल के समय (8 बजे) छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा ।
12. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।
13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्या की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास से निष्कासित किया जावेगा ।
14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है
15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा ।
16. छात्राओं द्वारा रू.2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है । (शासन द्वारा समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध (बाण्ड) भरना होगा)।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु:-

17. भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार छात्राओं को कक्षा में शैक्षणिक सत्र के दौरान 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा ।
18. प्रशिक्षण के दौरान शुल्क हेतु कुल देय राशि- अवर सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-63/03/55/चि.शि./1 भोपाल दिनांक 06.04.2004 के अनुसार काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से निर्धारित निम्न शुल्क देय करना होगा जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा:-
  - (अ) प्रशिक्षण शुल्क - ₹ 25,000 प्रतिवर्ष  
कम्प्यूटर शुल्क - ₹ 1,000 (सिर्फ एक बार)  
कॉशन मनी- ₹ 500 ( सिर्फ एक बार एवं रिफंडेबल)  
ट्रांसपोर्ट फीस - ₹ 1,500 प्रतिवर्ष  
कुल शुल्क राशि ₹ 28,000
  - (ब) होस्टल फीस- ₹ 6,000 प्रतिवर्ष (होस्टल उपलब्ध होने पर)
  - (स) कौंसिलिंग फीस- ₹ 1,000 (सिर्फ एक बार)

शा. नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर में प्रवेश पाने वाले छात्राओं को कौंसिलिंग के दौरान उपरोक्त अ,ब, एवं स बिन्दुओं में दर्शायी गई शुल्क राशि को 3 पृथक डी.डी. में जमा करना अनिवार्य होगा।

शा. उक्त तीनों डी.डी. सी.ई.ओ., ऑटोनोमस सोसायटी, शा. नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर के नाम से देय होगी। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा शा. नर्सिंग महाविद्यालय, में विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित शुल्क डी.डी. में जमा करना अनिवार्य होगा।
19. शासन नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त (एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी./सामान्य वर्ग) छात्राओं को प्रतिमाह ₹.3500/-चार वर्षों तक शासन द्वारा स्टाफफण्ड प्रदाय किया जाएगा ।
20. शासन नियमानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं को चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात म.प्र.शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिन शासकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स पद रिक्त होने की स्थिति में स्टाफ-नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
21. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करने वाली छात्राओं व छात्रावास के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा ।

नोट:-

01. वर्तमान मे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/भोपाल/रीवा में छात्राओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण छात्रावास में रूम उपलब्ध होने पर ही प्रवेशित छात्राओं को छात्रावास में निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
02. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल व रीवा में नवीन प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्राओं को बिन्दु क्र. 18 दर्शाये गये दिशा निर्देशानुसार ही निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, अन्य शुल्क व काउंसिलिंग शुल्क देय होगी। परन्तु उक्त नर्सिंग महाविद्यालयों मसमस्त शुल्क की डी.डी. अलग-अलग नाम से देय होगी।

## अध्याय-2

### प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

#### खण्ड-अ

- 2.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) पदों/सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iv) अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे
- 2.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

#### **2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-**

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

#### **2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening**

Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

## 2.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 5 918 / 2018 भोपाल दिनांक 11/12/2018 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

### (अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

### (ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टीबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टीबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी ई बी कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई बी स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके | आपरिहृत्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

### (i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षार्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायरसेकण्ड्री होना चाहिए |

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

**2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-**

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट [www.peb.mp.gov.in](http://www.peb.mp.gov.in) से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-**

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट [www.peb.mp.gov.in](http://www.peb.mp.gov.in) पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

**2.8 मूल्यांकन पद्धति:-**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

**2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-**

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

**उदाहरण 01 :-** यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

**उदाहरण 02 :-** यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

**उदाहरण 03 :-** यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$190 \times 200$$

$$\frac{191.91}{200-2}$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार )

## 2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाइजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of  $j^{th}$  candidate in  $i^{th}$  session  $\widehat{M}_{ij}$  is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_{ii} - M_{iq}^g} (M_{ij} - M_{iq}^g) + M_q^g$$

where,

$M_{ij}$  is the actual marks obtained by the  $j^{th}$  candidate in  $i^{th}$

$\bar{M}_i^g$  is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

$M_q^g$  is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ii}$  is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the  $i^{th}$  session

$M_{iq}^g$  is the sum of the mean marks and standard deviation of the  $i^{th}$  session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

## 2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

## 2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना चा उस स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे

किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

**(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबन्ध में**

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

**2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-**

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट [www.peb.mp.gov.in](http://www.peb.mp.gov.in) पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

**2.13 परीक्षा परिणाम :-**

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट [www.peb.mp.gov.in](http://www.peb.mp.gov.in) पर अपलोड किया जायेगा।

- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

**2.14 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-**

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

**2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-** परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

## खण्ड-ब

### 2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-11 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

### 2.17 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-11 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।

- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

## 2.18 आवेदन भरने के निम्नलिखित प्रक्रिया:

**सी.एस.सी) सी.एस.सी इ-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (वी.एल.ई के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि:-**

सी.एस.सी के अधिकृत सेंटर से आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियाँ व फोटो सहित आवेदक को निकटतम CSC पर जाना होगा:-

1. पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियम के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
2. CSC सेंटर आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपी स्व घोषणा को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ यथा स्थान संलग्न करेगा।
3. फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियां भली भांति पढ़कर सहीसही- जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही सीसी सेंटर.एस. को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमती दें तथा नकद राशी का भुगतान सीसी सेंटर.एस. को करें |
4. भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर सी.एस.सी सेंटर द्वारा कंप्यूटराइज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य प्रष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

## 2.19 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था: -

1. ऑनलाइन आवेदनपत्र- सी एस सी सेंटर की वेबसाइट <http://peb.mp.gov.in> के द्वारा भरा जा सकता है।
2. इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मैस्ट्रो इत्यादि (कार्ड/क्रेडिटकार्ड (कोई भी वीजा/मास्टरकार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित आवेदन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदनपत्र- भरा जा सकता है।

3. शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदनपत्र- की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदनपत्र- क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सके।

## 2.20 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प निम्नानुसार हैं:-

- a) CSC सेंटर द्वारा
- b) स्वयं के कंप्यूटर (इन्टरनेट युक्त)द्वारा

## 2.21 प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

1. आवेदक वेबसाइट <http://peb.mp.gov.in> के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध *नया " यूजर पंजीकरण* पे क्लिक कर आवेदक अपना आधार)UIDAIपीके माध्यम .टी.ओ ( नवीन यूजर आई डी" से सत्यापित करबनायें) "Create a new account .( पी जनरेट बटन पर .टी.आवेदक द्वारा अपना आधार क्रमांक एवं केप्चा भरके ओ क्लिक करOTP जनरेट करेंपी .टी.आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ . इस ,प्राप्त होगाOTP को दिए गए बॉक्स में भरें एवं ईमेल आई डीमोबाइल , नंबर डालकर मोबाइल नंबर सत्यापित करने हेतुदोबारा OTP जनरेट करें |
2. मोबाइल नंबर को पोर्टल पर रजिस्टर कर अपना यूजर आई डी एवं पासवर्ड सुनिश्चित कर सेव करें |
3. पोर्टल पर अपना यूजर आई डी| पासवर्ड एवं केप्चा डाल लॉग इन करें ,
4. पासवर्ड अथवा यूजर आई डी खो जाने पर फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर
  - a) पासवर्ड पुनः जानने के लिए यूजरनेम| जन्मतिथि एवं मोबाइल ,नंबर भरकर भी प्राप्त कर सकते हैं  
**अथवा**
  - b) पासवर्ड जानने के लिए यूजरनेम एवं ईमेल आई डी डालकर भी प्राप्त कर सकते हैं |
  - c) यूजरनेम प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर यूजरनेम प्राप्त करें |
5. लॉग इन करने के पश्चात् आपको इंस्ट्रक्शन दिखेंगे उसको अच्छी तरह से पढ़ ले एवं जो आने वाले परीक्षाएं दिखेंगी एवं नेविगेशन बार है
6. नेविगेशन बार आप्शन |
7. होम | आपको यह आप्शन दिखेगा जिस से आप होम पेज पे जा सकते हैं :
8. मेरा प्रोफाइल इस लिंक पर क्लिक करने पर आपका : प्रोफाइल का लॉग इन विवरण एवं आधार विवरण दिखेगा |

9. प्रोफाइल बनाये इस लिंक के माध्यम से आपके सामने अनुभागीय फॉर्म खुल :  
" जायेगा जिसमे आवेदक को *व्यक्तिगत विवरणशिक्षा सम्बन्धी* ", "*संपर्क विवरण*", "*दस्तावेज*" & "*हस्ताक्षर अपलोड करें / फोटो*" , "*जानकारी अपलोड करें* " पूर्ण रूप से फॉर्म भर कर सुरक्षित रखना होगा ।
10. प्रोफाइल देखे और प्रिंट करें: इस पर क्लिक करने पर आप अपनी बनायीं हुई प्रोफाइल देख सकते हैं एवं प्रिंट भी कर सकते हैं ।
11. ऑनलाइन आवेदन ", ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक कर : ऑनलाइन आवेदन सेक्शन " अतिरिक्त आवेदन पत्र खुलेगा जिसमे जानकारी जो आवेदन पत्र में पूछी गई है उसे पूर्ण रूप से भर कर सबमिट करें ।
12. मेरा आवेदन मेरा आवेदन पर क्लिक कर भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का रिकॉर्ड :  
| वर्षवार देखा जा सकता है एवं उसका प्रिंट भी निकला जा सकता है
13. Unpaid application- यदि आवेदन का शुल्क जमा नहीं है और आवेदन भरने की तिथि बाकि है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर आवेदन पत्र का भुगतान शुल्क , सी वॉलेट से .एस.सी सेंटर अपने सी.एस.शुल्क जमा करने के लिए सी , जमा करें शुल्क का भुगतान करेगा और आवेदक को cash में शुल्क वी एल ई को प्रदान करना होगा अथवा आवेदक स्वयंपेमेंट गेटवे द्वारा डेबिट क्रेडिट कार्ड एवं / | इन्टरनेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं
14. सहायता सहायता पर क्लिक कर कस्टमर केयर का नाम एवं नंबर ज्ञात किया :  
| जा सकता है

## 2.22 आवेदन पत्र का शुल्क भुगतान 3 प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार:

1. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान- :
  - a) आवेदन पत्र- भरने के उपरांत आवेदन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
  - b) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंक का भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर आवेदन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
  - c) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांज़ेक्शन )Transaction( संबंधी जानकारी की कंप्यूटराइज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा और ज़रूरत पड़ने पर मेरा आवेदन जाकर उस रसीद को पुनः प्रिंट किया जा सकता है ।

**2. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षाशुल्क का भुगतान- :**

- a) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदनपत्र- भरने के उपरांत आवेदन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आईडी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- b) आवेदन एवं पोर्टलशुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांस्जेक्शन )Transaction( संबंधी जानकारियाँ की कंप्यूटराइज्ड रसीद उपलब्ध होगी,जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जानाहोगा ।

**3. CSC सेंटर के माध्यम से आवेदन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान- :**

- a) आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिटडेबिट/ कार्डअथवा इंटरनेट बैंकिंगकीसुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदनपत्र- भरने के उपरांत वह CSC सेंटर पर जायें ।
- b) CSC के अधिकृत सेण्टर जाकर अपना यूजर अकाउंट लॉग इन कर“मेरा आवेदन” पर क्लिक कर उपयुक्त आवेदन एवं पोर्टल शुल्क का CSC सेण्टर वॉलेट द्वारा भुगतान करे एवं आवेदन को रसीद अवश्य CSC सेंटर से प्राप्त करें।

**2.23 निर्धारित तिथि में जमा किये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था ।**  
ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- a) ऑनलाइन आवेदनपत्र- में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा CSC अधिकृत सेण्टर के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र- में संशोधन किया जा सकेगा।
- b) उक्त सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में आवेदन शुल्क राशी का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्र के लिए ही उपलब्ध होगी।
- c) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा,जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान CSC के अधिकृत सेंटर या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- d) उपरोक्त प्रतिक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई आवेदन शुल्क राशी में से

अजा/अजजा/अन्यपिछड़ावर्ग के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क में छूट की राशी वापस नहीं की जायेगी।

- e) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु .जाति/अनु.जनजाति/अन्यपिछड़ावर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क राशी में पूर्व में जमा की गई राशी का समायोजन कर शेष राशी का भुगतान करना होगा।
- f) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात आधार से प्राप्त नाम एवं जन्म तिथि किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्यथा सभी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- g) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांस्जेक्षण) Transaction (आई.डी नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- h) ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांस्जेक्षण )Transaction (आई .डी नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ई-मेलआई.डी में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- i) संशोधन के लिए निर्धारित समय अवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। **आवेदक के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा आवेदक के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।**

## 2.24 एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन-पत्रभरने संबंधी निर्देश :-

1. एक ही आवेदन के लिए दो ऑनलाइन आवेदन नहीं किये जा सकते | अन्यथा एसी स्थिती में PEB का निर्णय अंतिम मान्य होगा |

एवं

### ❖ ऑनलाइन आवेदनपत्र- का निरस्तीकरण:-

2. CSC से डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्व घोषित हस्तलिपी का परिक्षण पी.ई.बी स्टार पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व CSC के द्वारा यह परिक्षण किया जाएगा |
3. इनमें त्रुटी, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिती में आवेदक का आवेदन को निरस्त किया जायेगा।
4. इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्रचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त

जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

## 2.25 संपर्क करने हेतु:

1. ऑनलाइन आवेदनपत्र- के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी /समस्या के लिए CSC के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष पर संपर्क किया जा सकता है ।
2. परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
3. **पुन/गणना: पूर्णमुल्यांकन**  
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् **पुन/गणना:पूर्णमुल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।
4. अभ्यर्थी द्वारा जानकारी /समस्या के लिए टोल 18002337899 पर संपर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पीकी .बी.ई. E-mailID complaint.peb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं ।

## खण्ड-स

### 2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
01.06.2019	15.06.2019	15	01.06.2019	20.06.2019	20

### 2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	दिनांक	दिन	पाली	समय	अवधि	अधिकतम अंक
1.	07.07.2019	रविवार	प्रथम	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	02 घंटे	150
2.			द्वितीय	दोपहर 02:00 से 04:00 तक	02 घंटे	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

### 2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	400/-	200/-	200/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 50/- रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 30/-

### (ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	35/-

### 2.35 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5.दमोह	6.रतलाम	7.सागर	8.सतना
9.उज्जैन			

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.36

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबलड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

## अध्याय-3

जी.एन.टी.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. – 2019

### पाठ्यक्रम(SYLLABUS)

#### 1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.I, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion, force and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy.

Static and kinetic friction, work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservations to its kinetic energy, Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes. Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling. Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. Wave motion, principle of superposition, progressive and stationary waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference, young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae.

Dispersion in prism, absorption and emission spectra. The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, mass energy relation, fissions, X- ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor. Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltage as currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity

Biot Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

## 2. CHEMISTRY :

### GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: constitutions of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation(sp): hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT and MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections (point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses: radiocarbon dating.

Chemical equilibrium: chemical equilibrium, law of mass action:  $K_p$  and  $K_c$ : Le Chatelier principle and its applications. Ionic equilibrium in solutions,

solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of thermodynamics: energy free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of a reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion- electron methods. Electrolytic conduction,

Faraday's law: voltaic cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, catalysis types and characteristics.

## INORGANIC CHEMISTRY:

Principle and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties. Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases. Transition metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Co-ordination compounds: simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics. Chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

## ORGANIC CHEMISTRY:

Calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkenes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, haloalkenes, alcohols and

phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride, D.D.T benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

### **3. BIOLOGY:**

#### **BOTANY**

Structure organisation of cell, cell theory. Light and electron microscopic view of cells. structure and functions of cell organelles: nucleus, mitochondria, Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, micro bodies, microfilaments, ribosomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohybrid and dihybrid cross; linkage and crossing over of genetic material, DNA replication, genetic code, transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure, reproduction and economic importance of viruses, Mycoplasma, Bacteriophage, cyanobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification, binomial nomenclature: external morphology and life cycle of Spirogyra

Mucor, Funaria, Selaginella and Pinus.

Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporogenesis. Fertilization, endosperm and embryo development in angiosperms. Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition, essential elements and their functions: uptake of minerals, transport of water and solutes.

Transpiration, photosynthesis and respiration: importance, mechanism and factors affecting these processes: photorespiration. Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action, importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - structure and function, major ecosystems i.e. lake and forest; food chain, food web and energy flow, ecological crises, role of man in polluting environment - air, water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses (gram), oil seeds (ground nut), sugarcane, coal and petroleum, Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industries manufacture of cheese. Yoghurt alcohol antibiotics.

## ZOOLOGY :

### MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and function of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs - stomach, intestine, liver, kidney, lung, testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, reproductive system.
- Skeleton, joints, muscles on the basis of movement receptors.
- Endocrine system with special reference to various endocrine glands of man and hormonal coordination.
- Vitamins and minerals ( source and disorders due to deficiencies).

### DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis along with structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three germinal layers. Foetal membrane structure and functions in mammals.
- Growth, repair, ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.
- Tissue culture, genetic engineering ( brief idea), mutation gene mutation.
- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

### TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- binomial and trinomial nomenclature, basic features of classification, classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.

- Origin of life, theories of organic evolution- Darwin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.
- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.
- Protozoan disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS) . STD, immuneresponse, vaccines and antiseraallergies.
- Smoking, alcoholism and drug addition, symptoms and control.
- Wild conservation.
- Pesticides - users, advantages and hazards.

#### **4. GENERAL ENGLISH**

1. Reading Comprehension
2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation,

Prefixes, Suffixes.

3. Grammar and usage :

- (a) Articles and determiners.
  - (b) Agreement between the subject and the verb.
  - (c) Time and tenses.
  - (d) Prepositions and phrasal verbs.
  - (e) Auxiliaries including modals.
4. Transformation of sentences.
- (a) Voices : active and passive.
  - (b) Narration : direct and indirect.
  - (c) Degrees of comparison
  - (d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative.
5. Common errors.
6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

## अध्याय-4

### प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र - 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र  
(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम ..... पिता का नाम  
.....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम.....

धर्म .....

व्यवसाय .....

पता .....

.....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला.....के लिए घोषित  
..... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ..... जिला ..... के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र  
करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे  
ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर  
.....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

## प्रपत्र - 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला..... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम..... निवासी ग्राम/नगर .....वि. खं.....तहसील.....जिला.....सं भाग.....जाति /जनजाति..... का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संघोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये .....हैं.

हस्ताक्षर

प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

दिनांक .....

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र - 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .....आत्मज श्री.....  
निवासी ग्राम.....जिला/संभाग .....मध्यप्रदेश के निवासी है जो  
.....जाति .....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति  
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पञ्जीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया  
गया है.

श्री..... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला  
..... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग)  
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक  
360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन  
विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ती आंकलन  
भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

**प्रपत्र - 4 :**  
**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में**  
**व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)..... श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से..... (स्थान) तहसील जिला..... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक .....

(कार्यालय सील)

## प्रपत्र - 5

### अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी.....आत्मजा पत्नी  
श्री.....ने नियमित छात्रा के रूप में इस  
संख्या.....(संस्था का नाम) में सत्र ..... से  
सत्र तक ..... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद.....

स्थान .....

(कार्यालय सील)

दिनांक .....

**प्रपत्र - 6**  
**वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .....  
आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती..... जो  
तहसील.....जिला..... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान.....

दिनांक.....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र - 7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी..... श्री/श्रीमती.....का /की/पुत्री है।

(क) जो..... विभाग में.... पर..... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो ..... विभाग में .....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो ..... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो ..... विभाग में .....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए ..... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो ..... विभाग में .....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

.....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक .....

प्रपत्र - 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी.....

श्री/श्रीमती.....का /की/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010

को अथवा उसके पूर्व कि तिथि ..... में मध्यप्रदेश में स्थित

..... विभाग में ..... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक

उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद .....

स्थान .....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक .....

प्रपत्र - 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी.....

श्री/श्रीमती.....का/की/पु

त्री है, जो ..... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह

योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (त्मेमजजसमउमदज ैबीमउम) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद.....

स्थान .....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक .....

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता .....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक.....

## Professional Examination Board

### प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

#### Predefined Template

#### फोटो / Photo

**4" x 5" सेमी फोटो यहाँ  
चिपकाये**

**4" x 5" cm photo  
paste here**

**Box-1**

#### हस्ताक्षर / Signature

**Box-2**

#### निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों **ea vFkok vxst h ds y/kqg Lrk(kj ekl; ugha gkx s A** (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be invalid

#### निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

#### स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

#### स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

**Box-3**

